न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 136/2020
3. उनवान : सरकार जरिये कुशाल बिलाला प्रवर्तन निरीक्षक
बनाम
श्री जगदीश कुमावत पुत्र श्री भगवानसहाय कुमावत, निवासी सानकोटडा, तहसील जमवारामगढ, थाना आंधी।
4. निर्णय दिनांक : 06.10.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, श्री कुशाल बिलाला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 23.08.2010 को ग्राम पंचायत सानकोटडा, तहसील जमवारामगढ में उचित मूल्य दुकानदार श्री जगदीश कुमावत की दुकान में आकस्मिक निरीक्षण किया। दौराने जांच रिकार्ड के अनसुार स्टॉक में नीला केरोसीन 782 लीटर व ए.पी.एल. गेहूं आटा 40 कि.ग्रा. होना चाहिये था, परन्तु भौतिक सत्यापन पर 1400 लीटर केरोसीन व 270 कि. ग्रा. ए.पी.एल. गेहूं आटा मिला स्टॉक में पाया गया। इस प्रकार स्टॉक से अधिक पाये गये 618 लीटर नीले केरोसीन मय 3 लोहे के ड्रम व 230 कि.ग्रा. ए.पी.एल. गेहूं आटा अधिक पाया गया। अप्रार्थी द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक गेहूं एवं केरोसीन के पाये जाने के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द निरीक्षण, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी द्वारा लम्बे समय तक जवाब पेश नहीं करने की स्थिति में दिनांक 12.12.2012 को जवाब बन्द किया गया। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार अप्रार्थी को आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 06.10.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 23.08.2010 को अप्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान पर स्टॉक से अधिक मात्रा में भण्डारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेंहू के आटे व केरोसीन को जब्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संवंध में मौके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। इस प्रकार डीलर द्वारा प्राधिकार प्रत्र की शर्त संख्या–5 के [illegible] सही रिकार्ड संधारण नहीं किया जाकर इस अधिक पाये गये स्टॉक का फर्जी वितरण दर्शा कर निजी लाभार्थ दुरुपयोग किये जाना स्पष्ट करता है, जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त 618 लीटर नीला केरोसीन मय 3 लोहे के ड्रम व 230 कि.ग्रा. ए.पी. एल. गेहूं के आटे को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर, ग्रामीण को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेपित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
(तृतीय) जयपुर

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate - III • JAIPUR •